शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar.2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

पंचायती राज व्यवस्था : साहित्यावलोकन

प्राप्तिः 10.03.2022
स्वीकृतः 18.03.2022

डॉ० राकेश कुमार
सहायक अध्यापक
आदर्श नागरिक इण्टर कॉलिज
खजूरी, मेरठ (उ०प्र०)
ईमेलः *rakeshkumarmeerut@gmail.com*

सारांश

भारत विकेन्द्रीकरण विचारों की दृष्टि में भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक एवं गांधी जैसे महान आत्माओं का देश हैं जहाँ पर बहुत पुराने समय से ही हमारे देश का झुकाव अहिंसा की तरफ रहा है। तथा वहाँ पर नैतिकता के दायित्व को दृष्टिगोचर रखते हुए सभी नागरिक इसके प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा रखते है। इससे पूरे विश्व एवं भारतीयों के अनेक उदाहरण आज भी विराजमान है। ''हरिजन सेवक'' अंक 18 सन् 1942 में गांधी जी ने लिखा है कि ''हमारा उद्देश्य लोगों को सुखी बनाना और साथ–साथ उनकी बौद्धिक, नैतिक अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करना हैं लेकिन यह उद्देश्य विकेन्द्रीकरण से ही सिद्ध हो सकता है।'' ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यद्यपि यह बताना कठिन है कि वैदिक युग में स्थानीय स्वशासन कैसे कार्यरत रहता था। ग्राम संस्थाओं का पूर्ण उल्लेख रामायण और महाभारत में भी स्पष्ट मिलता है। क्योंकि इन ग्रन्थों में कटु सत्य लिखने वाले तथा परिस्थितियों के बारे में जानकारी करके तभी लिखते हैं। अनेक स्मृति ग्रन्थों में भी स्थानीय संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्री मौर्य काल में प्रचलित ग्रामीण व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

श्रीमती एनीबेसेन्ट व राणाडे ने भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना पर बहुत बल दिया जो सत्ता के केन्द्रीकृत स्वरूप में असहमति ला सके। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में एक समानता, एक संहिता, एक विधि, एक नीति, एक कर व्यवस्था और एक ही प्रमुख पद्धति थी। रानाडे ने भारत को आर्थिक अवनति से उभरने के लिए औद्योगीकरण का समर्थन किया लेकिन उद्योगों के केन्द्रीकरण का पक्ष नहीं लिया गया।

वस्तुतः विकेन्द्रीकरण का दूसरा नाम, स्थानीय स्वशासन है। इसका सम्बन्ध स्थानीय मामलों से है इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र स्थानीय स्वशासन के प्रतिकृत संकल्पित होना चाहिए। गोपलकृष्ण गोखले ने विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया कि भारतीयों को उनके कर्तव्य और अधिकार तभी प्राप्त हुए है। जब ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाया और तानाशाही को अलग हटाकर यह कार्यप्रणाली अपनाई थी। यहां तक कि जिला प्रशासन के द्वारा कलैक्टर की तानाशाही को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन किया जाये जो अपने जिले की कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा कलैक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे सके। ग्राम पंचायत सत्ता की सबसे अच्छी इकाई हो जिसके पास शासन सम्बन्धी पर्याप्त अधिकार हो।

मानवेन्द्र नाथ राय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य द्वारा अपने विचारों को दृष्टिगत रखते हुए सत्ता का विकेन्द्रीकरण चाहते थे। सत्ता का लोकतन्त्र ही विकेन्द्रीकरण का सार है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि प्रजातंत्र को पूरी तरह विकेन्द्रित किये बिना, राजनीतिक प्रक्रिया में जन सामान्य को प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता।

लाला लाजपतराय ने मांग की थी कि भारत में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के द्वारा हमारी प्रतिनिधि संस्थाओं को विकसित किया जाये। क्योंकि संस्थाओं के द्वारा ही समाज में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन अस्वाभाविक रूप से केन्द्रीकृत, अनियन्त्रित, अलोकतान्त्रिक और अस्वराजवादी है। ग्राम स्तर पर स्वायत्त शासन की लाला लाजपतराय ने हिमाकत की।

बम्बई विधानमण्डल में 6 अक्टूबर, 1932 को ग्राम पंचायत विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए डॉ0 भीमराव आंबेडकर ने कहा था मैं महोदय के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दलित वर्गों के बारे में बात करते हुए मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक महसूस नहीं हो रही है कि वयस्क मतदान हमारे लिए प्राप्त नहीं है। महोदय, हम यह भूल गये हैं कि दलित वर्ग प्रत्येक गांव में अल्पसंख्यक हैं। एवं दयनीय अल्पसंख्यक और हम यह मान लेते हैं कि वे वयस्क मताधिकार अपनायेंगे। इसके साथ मुझे विश्वास है कि वे यह भी मानेंगे कि वयस्क मतदान अल्पसंख्यकों को बहुमत में परिवर्तित नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये ग्राम पंचायतें बनती हैं तो दलित अल्पसंख्यकों के लिए उनमें विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए, किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।

आचार्य नरेन्द्र देव ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि हमें सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा ही सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्रजातंत्र के लिए अति आवश्यक मानना चाहिए।

विनोबा भावे ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए पूर्ण स्वराज एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर महत्वपूर्ण बल दिया है।

गांधी जी भारतीय जनता को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि प्रत्येक आम नागरिक स्वरोजगार छोटे–छोटे उद्योगों के द्वारा प्राप्त कर सके अर्थात् प्रत्येक गांव के सदस्यों को अपने कार्यों की व्याख्या करने से अधिक स्वतंत्रता और सुविधाऐं प्राप्त होनी चाहिए। गांधी जी ने अपनी मृत्यु से करीब दो वर्ष पहले अपने पत्र हरिजन में लिखा था कि सच्चे लोकतंत्र का परिपालन केन्द्र में बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं हो सकता। इसका क्रियान्वयन हर गांव के लोगों द्वारा ही होना चाहिए। इसे हम अन्य शब्दों में कह सकते हें कि गांधी जी स्थानीय स्वशासन पर बल देते थे।

स्थानीय स्वशासन के सम्बन्ध में **ब्राइस** ने स्पष्ट कहा है कि यह स्वशासन नागरिकों में सामान्य समस्याओं को सामान्य दिलचस्पी तथा अत्यन्त कुशलता और ईमानदारी से उनको सुलझाने की व्यवस्था करने में व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्तव्य भावना उत्पन्न करता है।

मुनरों के शब्दों में स्थानीय संस्थाओं में अधिक स्थायित्व होता है क्योंकि वे आमतौर पर लम्बे विकास का परिणाम होती है और धीरे–धीरे जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं सामान्य जीवन का अंग कही जाती है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम स्वशासक की परम्परा वैदिक काल से चली आ रही हैं कि लोकतंत्र को आज के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित रखने के लिए उसकी जड़ें गांव में होनी चाहिए।

आधुनिक समय में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था को परिणामस्वरूप विशेष बल दिया गया और इसके लिए केन्द्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मन्त्रालय की स्थापना की गई और एस0के0डे0 को इस विभाग का मंत्री बनाया गया। डॉ0 राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्रामीण पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के लिए निर्मित होती है। ताकि सब में समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व का विचार दृढ़ रहे। डॉ0 के0पी0 जायसवाल के शब्दों में पुरातन काल के प्रलेखों से ज्ञात होता है कि लोकप्रिय सभाओं एवं संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय जीवन तथा प्रवषत्तियां व्यक्त की जाती थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा प्रिधु को जाता है।

महात्मा गांधी के अनुसार गांव भारत की आत्मा और आधार है। भारत का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा और प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

बलवन्त राय मेहता समिति ने ग्रामीण स्थानीय सरकार के निर्माण के लिए एक श्रेणीबद्ध त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की जो पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानी गई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद।

जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को सामुदायिक लोकतंत्र के समान तथा पश्चिम के सहभागी लोकतंत्र से अधिक आधुनिक बताया कि सन् 1965 ई0 के बाद पंचायती राज प्रणाली में गिरावट आने लगी। इस तरह स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज का पहला चरण समाप्त हो गया। **आर0एस0 सरकारिया** ने भी स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और अधिक से अधिक कार्य सौंपने की सिफारिश की।

कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति दास कैपिटल में लिखा है कि प्राचीन काल से चले आ रहे ये छोटे–छोटे भारतीय ग्राम समुदाय धार्मिक ढंग से संयुक्त स्वामित्व तथा किसान और मजदूर के श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित है ये ग्राम समुदाय अपने आप में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। एशियाई समाज में जो सुदृढ़ता, संगठन तथा स्वामित्व है उसका मुख्य श्रेय इन स्वावलम्बी ग्राम समुदायों की उत्पादन प्रणाली को ही है। वहां के राज्य टूटते रहते हैं। राजश्री खानदान बनते–बिगड़ते और मिटते रहते हैं। परन्तु वहां के ग्राम समुदायों पर इन तूफानी, आंधियों, क्रान्तियों तथा परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी उसी समान गति से चलते रहते हें।

रविन्द्रनाथ टैगोर का ग्राम दर्शन भारत के गांवों के लिए था। उन्होंने देखा कि एक ईमानदार किसान गांव में ही बसता है। पर उन्हीं क्षेत्रों में अशिक्षा, अज्ञानता, बीमारी आदि फैली हुई है। टैगोर गांवों के उन हालातों को देखकर रो पड़े थे। लेकिन उन्होंने ग्राम सुधार का एक बीड़ा उठाया जो जगह–जगह जाकर उन्होंने ग्राम सुधार की बात की।

नेहरू ने भारत के संदर्भ में एक महान क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक कदम बढ़ाने की संज्ञा दी थी। पंचायती राज संस्थायें, स्थानीय स्वशासन की इकाई होने के नाते संविधान में राज्य सूची के विषय है और राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनकी संरचना, शक्तियों व कार्यों की अभिकल्पना के लिए स्वतंत्र है। महिलाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतों के तीनों स्तरों पर कम से कम एक तिहाई पद उनके लिए आरक्षित कर दिये गये हैं जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस प्रकार देश में पहली बार महिलाओं को

पंचायतों के तीनों स्तरों पर कम से कम एक तिहाई सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ है।

आज 26 लाख से अधिक व्यक्ति त्रि–स्तरीय पंचायतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जिनमें से 10 लाख से अधिक महिलायें 5.2 लाख अनुसूचित जातियों से और 3.3 लाख अनुसूचित जनजातियों से हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अपना पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर ही मुख्यमन्त्रियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा था कि पंचायती राज ग्रामीण भारत को 70 करोड़ अवसरों में बदलने का एक माध्यम है किन्तु इस पद्धति को संस्थागत बनाने की चुनौती भी है। जिससे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भागीदारपूर्ण प्रजातंत्र बन सके। यहां पर सबको विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं। संसद से ग्राम सभा तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। देश के योग्य और सक्षम आमजन पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के पदों को सुशोभित कर चुके हैं जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की देन हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी पंचायतों के विकेन्द्रीकरण और सुदृढ़ीकरण को एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः पंचायती राज का मूलभूत लक्ष्य ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर एक सुखद भारत का निर्माण करना है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रजनी कोठारी कहते हैं कि हमने पंचायती राज को विकास का संवाहक बनाने के बजाए विकास को पंचायती राज का अभिकर्ता (एजेण्ट) मान लिया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य था– पंचायती राज की स्थापना। इसमें भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक–सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। हैराल्ड लास्की ने कहा है कि हम लोकतांत्रिक शासन का लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं को उन स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते है।

ग्राम पंचायत से संसद तक भारत के लोकतान्त्रिक ढांचे में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता हैं आवश्यकतानुसार इसमें शोध तथा संशोधन होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। सम्भवतः हमारे भारी–भरकम संविधान तथा भीमकाय लोकतंत्र का बोझ वहन करने में राष्ट्र कठिनाई, निराशा तथा विक्षोभ का अनुभव करने लगा है। राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमारा लोकतंत्र अनेक विसंगतियों, चुनौतियों तथा समस्याओं से घिर गया है। हमें इन समस्याओं को लोकतंत्र के माध्यम से ही हल करना है। ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय पंचायत तक लोकतंत्र को राष्ट्र की आंकाक्षाओं के अनुकूल राष्ट्रीय स्वरूप देकर ही हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता का महायज्ञ पूरा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत से संसद तक, मजदूर की झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक लोकतंत्र का प्रकाश समान वेग से पहुंचाया जाना चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाधान यह नहीं कि पंचायती राज संस्थाओं को खत्म कर दिया जाये और ग्रामीणों को स्थानीय नौकरशाही प्रशासन में सत्ता के दलालों और उनके पिठठुओं की दया पर छोड़ दिया जाये। हमें पंचायती राज नहीं, बेहतर पंचायती राज चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइसेन्स के निदेशक जॉर्ज मैथ्यू कहते हैं कि जब भी कमजोर या ईमानदार व जुझारू प्रधान या अन्य निर्वाचित सदस्य संकट में पड़े तो उनकी सहायता के लिए व्यापक प्रयास अवश्य होने चाहिए। मतलब विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब गांव के भीतर लोकतंत्र मजबूत होगा।

राष्ट्र के विकास में पंचायती राज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि केन्द्र सरकार का पूरा ध्यान पंचायतों पर हैं। पंचायतों को ग्राम स्वावलंबन से जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यही बात कहीं कि जब तक पंचायतें सशक्त नहीं होगी तब तक देश व समाज का समुचित विकास नहीं हो सकता है। पंचायत में अपनी जिम्मेदारी निभाने वालों को पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि शहरों की तरह ही गांवों में भी सभी के पास पक्के मकान हो, रोजगार, पानी, पर्याप्त बिजली और संचार सहित सभी तरह की सुविधायें मिलें, जिससे गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सके। भारतीय समाज का स्वरूप पिछले कुछ दशकों से निरन्तर प्रगतिशील दिशा में अग्रसर है। पंचायती राज से भारतीय समाज का चहुंमुंखी विकास और प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली में निरन्तर इजाफा हुआ है। यूँ तो प्राचीन समय से ही भारत का एक अत्यधिक सशक्त एवं महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण समाज रहा है। किन्तु वर्तमान में ग्रामीण समाज का जो नवीन दृश्य प्रस्तुत हुआ है। वह अत्याधिक जागरूक और स्वयं के भविष्य हेतु संचेतना व्यक्त करता है और इस स्थिति को प्राप्त करने में पंचायती राज व्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वस्तुतः आज पंचायतें भारतीय लोकतंत्र के एक नये चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही है। जिनमें साधारण महिला प्रतिनिधि असाधारण कार्यों को अंजाम दे रही है। अनेक कठिनाईयों के बावजूद वे भारत के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के समावेशन और सशक्तिकरण की एक आशाजनक तस्वीर पेश कर रही है। करोड़ों आकांक्षाओं वाले इस देश में ये स्थानीय महिला प्रतिनिधि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक तब्दीली ला रही हैं। भले ही इसकी गति धीमी हो।

सन्दर्भ

1. उपाध्याय, देवेन्द्र. पंचायती राज व्यवस्था, सामयिक प्रकाशन, जटवाड़ा, दरियागंज, नई दिल्ली।
2. कार्टर, एन्टानी. एलीट पॉलिटिक्स इन रूरल इण्डिया, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
3. गांधी, एम. के. पंचायती राज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
4. ग्रोवर, बी. एल. यशपाल. आधुनिक भारत का इतिहास, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली।
5. गुप्ता, एम. एल., शर्मा, डी. डी. (1993). भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, साहित्य भवन, हॉस्पिटल रोड़, आगरा।
6. चड्डा, सिद्धार्थ. ग्राम समाज क्यों? सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजपाट, वाराणसी।
7. पंवार, मीनाक्षी. भारत में स्थानीय शासन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
8. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
9. माहेश्वीर, एस. आर. भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिशिंग, आगरा–3
10. दत्त, विजयरंजन. पंचायती राज : संकल्पना और वर्तमान स्वयप, सर्वसेवा, संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी।

11. शर्मा, एन. पी. (1944). रिफार्म ऑफ लोकन सेल्फ गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, हिन्द किताब्स, बम्बई।
12. हरी, चन्द्रन सी. (1983). पंचायती राज एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट, नई दिल्ली।
13. सिंह, शिवशंकर. भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, राधा पब्लिकेशन्स, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
14. माथुर, एम. वी. (1969). पंचायती राज, प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी एशिया पब्लिशिंग हाउस।
15. मुखर्जी, राधाकुमुद. (1958). लोकल गवर्नमेन्ट इन एनीसियेन्ट इण्डिया, वाराणसी।
16. गांधी, एम. के. (1908). हिन्द स्वराज और इण्डियन होम रूल म्रदास।
17. अब्राहम, एम. फ्रांसिस. (1994). डायनेमिक्स ऑफ लीडरशिप इन विलेज इण्डिया, इण्डियन इण्टरनेशनल पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
18. वाजपेयी, अशोक. (1917). पंचायती राज एण्ड डेवलपमेन्ट, साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
19. दूबे, ए. सी. (1960). एक भारतीय ग्राम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
20. शर्मा, बी. ए. (1996). पंचायती राज की भूमिका (लेख), योजना जून, पृष्ठ **17.**
21. शर्मा, बी. एस. (1996). पंचायती राज, योजना, जून, पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ **17—18.**
22. शर्मा, वी. एम. (1996). लोकतंत्र के उन्नयन में पंचायती राज की भूमिका, योजना, जून, पृष्ठ **19.**
23. मिश्र, एस. एन. (1994). पंचायती राज व्यवस्था : संक्षिप्त परिचय, योजना जुलाई, पृष्ठ **23.**
24. (1991). पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन इण्डिया, भारत सरकार ग्रामीण विकास क्षेत्र मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखाकार, नई दिल्ली।
25. गायकवाड़, बी. आर. (1969). पंचायती राज एण्ड ब्यूरोक्रेसी : ए स्टडी ऑफ दि रिलेशनशिप पैअर्नस।
26. (1951). गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट ऑफ लोकल फाइनेंस इंक्वारी कमेटी।
27. (1965). गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट एण्ड कॉरपोरेशन ऑफ दि कमेटी ऑन पंचायती राज इलेक्शन।
28. मेहता, बलवन्त राय. (1944—45). रिपोर्ट वॉल्यूम—1, बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी।